न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 52/2022 बउनवानी लाल शंकर बलाई बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिल0 कलेक्टर स0मा0 पुत्र प्रताप शर्मा निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/ 100

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29.7.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 18.4..2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. श्री सुरेश चन्द खटीक पुत्र श्री भगोतिया जी की आईएलआर वरिष्ठता सूचित में पटवारी के रूप मे प्रथम नियुक्ति तिथि 28.12.1991 दर्ज है। सुरेश पटवारी के रूप में प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति चाहिए। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.2(80)/सूकाअ/719 दिनांक 19.7.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना तहसीलदार बामनवास के कार्यालय से संबंधित है। अतः वांछित सूचनाऐं तहसीलदार बामनवास के कार्यालय सें संबंधित है किन्तु तहसीलदार बामनवास द्वारा सूचना तृतीय पक्ष की मानते हुए अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः वांछित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाये जाने हेतु तहसीलदार बामनवास को निर्देशित किया जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 18.4.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही है उक्त वांछित सूचना का संबंध तहसीलदार बामनवास के कार्यालय से है किन्तु तहसीलदार बामनवास द्वारा उक्त सूचना को तृतीय पक्ष की बताते हुए अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जबकि उक्त सूचना तृतीय पक्ष की श्रेणी मे नही आती है। अतः तहसीलदार बामनवास को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ 15 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाते हुए इस न्यायालय को पालना भिजवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख [illegible] आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:31:47 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर